न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 89 / 2022

1 माखोरी देवी पत्नी रामकुमार सिंह जाति जाट निवासी भैरूपुरा हाल आबाद ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीचन्द पुत्र बलदेव सिंह जाति जाट निवासी भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।
2 श्रीमती छोटी देवी पत्नी गणेशराम।
3 मनभरी पुत्री गणेशराम।
4 ग्यारसी पुत्री गणेशराम।
5 सरिता पुत्री गणेशराम।
6 बृजमोहन दत्तक पुत्र भींवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
7 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़ रोड़ सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर रोड़ सीकर।
9 राज्य सरकार तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018
मुकदमा नम्बर 150/2016 बउनवानी नेमीचन्द
बनाम माखोरी देवी आदि न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—18-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2016 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर वाके भादवासी तहसील व जिला सीकर के बाबत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त भूमियों में वादी की खातेदारी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट की खातेदारी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की खातेदारी 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 की खातेदारी 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जिसका विधिवत बंटवारा पक्षकारान के मध्य नही हुआ। इसलिए बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। उक्त आशय के वाद में प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने प्रथम पेशी दिनांक 19.10.2016 पर ही अपना अधिवक्ता नियुक्त कर एडवोकेट श्री पोखरमल भींचर को नियुक्त करते हुए वादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियों एवं अन्य भूमि खसरा नम्बर 13 वाके भादवासी तहसील व जिला सीकर की जमावंदी व नक्शा ट्रेस अधिवक्ता को देकर सम्पूर्ण तथ्यों के बारे में अवगत करवा दिया। तत्पश्चात वाद पत्र की पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 की तामिल एवं प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के जबाबदावा हेतु नियत थी परन्तु बिना अपीलांट का जबाबदावा प्राप्त हुए तथा बिना प्रतिवादीगण की तामिल हुए योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को वाद पत्र में निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन के वाद में अपीलांट दिनांक 19.10.2016 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो गया था। वाद में वर्णित भूमियों के अलावा सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 13 और होने का तथ्य अपीलांट ने अधिवक्ता को अवगत करा दिया था। अधिवक्ता ने आश्वस्त किया था कि इस संदर्भ में जवाब के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर दिया जायेगा। विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी एवं जवाब में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली नियत तिथि 17.09.2018 से पूर्व ही 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में रखकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय नियत तिथि से पूर्व पारित किया जाना स्वीकार है किन्तु विचाराधीन निर्णय अपीलांट के गांव भादवासी में कैम्प में पारित किया गया है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील 4 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषजनक कारण अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नहीं किया गया है। अपीलांट खसरा नम्बर 13 के लिए पृथक से दावा ला सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउंडस की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी एवं जवाब में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली नियत तिथि 17.09.2018 से पूर्व ही 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में रखकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। स्पष्ट है कि नियत तिथि से पूर्व अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को सूचित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर